उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 43वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 14.12.2018

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।	–अध्यक्ष
2.	श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।	–सदस्य / सचिव
3.	श्री मदन राजा मौर्या, संयुक्त निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग)	–सदस्य
4.	श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	–सदस्य
5.	श्री भास्कर पाण्डेय, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)	–सदस्य
6.	श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)	–सदस्य
7.	श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)	–सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री राकेश त्रिवेदी, मुख्य तकनीकी सलाहकार, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, वन, यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
14. श्री ए0के0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री प्रकाश नारायण टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
16. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।
17. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
18. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।
19. श्री रमेश चन्द्र दुबे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, यूपीडा।
20. श्री जय कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–प्रथम, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 43वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.09.2018 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–

कार्यवाही / निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा 42 वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.09.2018 को सम्पन्न 42वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.09.2018 को सम्पन्न हुई 42वी बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल संग्रहण: फास्टेग एन0ई0टी0सी0 की व्यवस्था:–

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे : टोल संग्रहण : फास्टेग–एन0ई0टी0सी0 की व्यवस्था" के संचालन पर प्रस्तुत एजेंडा नोट का अवलोकन कर उस पर सम्यक विचार–विमर्श किया गया एवं तदुपरांत निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया:–

संकल्प :–

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting held on 14 December 2018, approved and passed the following Resolutions :-

a. "That the proposal for the setting up of National Electronic Toll Collection (NETC) Service of National Payment Corporation of India (NPCI) on the toll plazas of Agra-Lucknow Expressway as contained in the Agenda Note under consideration of the Board. be and is hereby approved.
b. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to NPCI and Eagle Infra India Ltd. the acceptance of the said offer of setting up of National Electronic Toll Collection (NETC) Service on the terms and conditions as contained in the MOU signed between NPCI and UPEIDA and the Supplementary Agreement signed between UPEIDA and Eagle Infra India Ltd., agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as my be suggested, necessary and acceptable to NPCI from time to time, and to execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."
c. "That the action of opening the bank account with Allahabad Bank for managing the payment of service Fees to NPCI be and is hereby confirmed."

d. "That the action of signing of the MOU with NPCI Under the signatures of the Chief Executive Officer and the of signing of Supplementary Agreement with Eagle Infra India Ltd. under the signature of Additional Chief Executive Officer be and is hereby confirmed."

एजेण्डा बिन्दु–04– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा "ओवर टेक" किये जाने के सम्बन्ध में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर संख्या (Legal Entity Identifier Number) प्राप्त किया जाना:–**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए रू0 1530.64 करोड़ के ऋण को बैंकों के माध्यम से "टेक–ओवर" किए जाने के सम्बन्ध में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर संख्या (Legal Entity Identifier Number) पर प्रस्तुत एजेंडा नोट का अवलोकन किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा की लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर संख्या 335800HVJDKJGNXZU971 का संज्ञान लिया एवं उस पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु लिए जाने वाले कंसोर्शियम ऋण हेतु भी सभी कंसोर्शियम सदस्यों को यह संख्या यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस संख्या का एक वर्ष बाद 20 अगस्त 2019 को एवं तत्पश्चात वार्षिक आधार पर यूपीडा द्वारा तत्समय आवश्यक फीस अदा करके नवीनीकरण कराया जाएगा।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास (प्रथम संशोधन) अधिनियम 2018 का यूपीडा निदेशक मण्डल से अंगीकृत कराने का प्रस्ताव:–**

कार्यवाही / निर्णय:– "उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 की सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या–2608 / 77–4–18–81एल / 13 दिनांक 08.10.2018 की प्रति अवलोकित की गई एवं अंगीकृत कराने के प्रस्ताव से अवगत होते हुये, निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन:–**

1. **संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों से अवगत कराया गया:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	19.09.2018	2987 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 18.09.2018
2	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	18.09.2018 अपरान्ह	2987 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 18.09 2018
3	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	19.09.2018	2987 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 18.09.2018
4	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	18.09.2018 अपरान्ह	2987 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 18.09.2018
5	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	18.09.2018 अपरान्ह	2987 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 18.09 2018
6	श्री दयाराम	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	25.10.2018	3743 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 24 10 2018
7	श्री के0 एन0 निगम	लेखाकार कम कैशियर	06 माह	25.10.2018	3743 / यूपीडा / 1012 / 18 / अधि0 दि0 24.10.2018
8	श्री रमाकान्त अग्निहोत्री	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	29.09.2018	3239 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 28.09.2018
9	श्री मनोहर सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	24.10.2018 अपरान्ह	3744 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 24.10.2018

10	श्री सत्य नारायण राम चौहान	विशेष राजस्व अधिकारी	06 माह	30.10.2018	3804 / यूपीडा / 1075 / 18 / अधि0 दि0 26.10. 2018
11	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	06 माह	01.11.2018	3804 / यूपीडा / 1075 / 18 / अधि0 दि0 26.10. 2018
12	श्री शिव कुमार सिंह	भू–लेख सहायक	06 माह	30.10.2018	3804 / यूपीडा / 1075 / 18 / अधि0 दि0 26.10. 2018
13	श्रीराम मूर्ति	निजी सचिव	06 माह	03.12.2018	4480 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दि0 03.12. 2018
14	श्री चुनकू राम	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे	06 माह	04.12.2018	4495 / यूपीडा / 1122 / 18 / अधि0 दि0 04.12. 2018

2. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया :–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री सन्त प्रसाद तिवारी	प्रबन्धक (प्रशासन)	09.09.2018 तक	06 माह	09.03.2019 तक	2252 / यूपीडा / 248 / 14 / अधि0 दि0 06.10.2018	
2	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	13.10.2018 तक	06 माह	13.04.2019 तक	3331 / यूपीडा / 334 / 14 / अधि0 दि0 03.10.2018	
3	श्री वीरेन्द्र कुमार बैजल	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2018 तक	06 माह	31.03.2019 तक	3303 / यूपीडा / 400 / 15 / अधि0 दि0 03.10.2018	
4	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	09.07.2018 तक	06 माह	09.01.2019 तक	1698 / यूपीडा / 247 / 14 / अधि0 दि0 19.07.2018	
5	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.08.2018 तक	15 दिन	15.09.2018 तक	3038 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दि0 22.09.2018	
6	श्री कालीचरन	डाकरनर	30.09.2018 तक	06 माह	31.03.2019 तक	3140 / यूपीडा / 406 / 15 / अधि0 दि0 26.09.2018	
7	श्री भोलानाथ यादव	डाकरनर	28.11.2018 तक	06 माह	28.05.2019 तक	4362 / यूपीडा / 467 / 15 / अधि0 दि0 27.11.2018	
8	श्री प्रकाश नारायण टण्डन	प्रबन्धक (पर्यावरण)	28.11.2018 तक	06 माह	28.05.2019 तक	4619 / यूपीडा / 468 / 15 / अधि0 दि0 11.12.2018	
9	श्री उमा निवास त्रिपाठी	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	31.10.2018 तक	02 माह	31.12.2018 तक	3988 / यूपीडा / 586 / 16 / अधि0 दि0 05.11.2018	
10	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	25.09.2018 तक	03 माह	25.12.2018 तक	3226 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दि0 28.09.2018	
11	श्री रवीन्द्र बहादुर सिंह	सुरक्षा अधिकारी	27.09.2018 तक	06 माह	27.03.2019 तक	3229 / यूपीडा / 885 / 18 / अधि0 दि0 28.09.2018	
12	श्री अलख नारायण द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	27.09.2018 तक	06 माह	27.03.2019 तक	3228 / यूपीडा / 887 / 18 / अधि0 दि0 28.09.2018	
13	श्री राजेश कुमार सिंह चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	27.09.2018 तक	06 माह	27.03.2019 तक	3227 / यूपीडा / 888 / 18 / अधि0 दि0 28.09.2018	
14	श्री दुर्गेश उपाध्याय	मीडिया सलाहकार (पूर्णकालिक)	01.11.2018 तक	06 माह	30.04.2019 तक	3283 / यूपीडा / 914 / 18 / अधि0 दि0 01.10.2018	
15	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.11.2018 तक	06 माह	14.05.2019 तक	4278 / यूपीडा / 351 / 14 / अधि0 दि0 20.11.2018	

3. शासनादेश सं0 4 / 2018 / आर0जी0–1021 / दस / 2018–मित0–1 / 2017 दिनांक 18.09.2018 के अनुपालन में यूपीडा बोर्ड द्वारा पूर्व अनुमोदित यात्रा भत्ता नियमावली के स्थान पर राजकीय यात्रा भत्ता नियमावली 2011 लागू किया जाना।

"मुख्य सचिव उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश सं0 4 / 2018 / आर0जी0–1021 / दस / 2018–मित0–1 / 2017 दिनांक 18.09.2018 के प्रस्तर–5 के क्रम में यूपीडा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा बीजकों के त्वरित निस्तारण हेतु पूर्व में जारी यूपीडा की यात्रा भत्ता नियमावली–आदेश सं0 624 / यूपीडा / 08 / 37 दिनांक 18.06.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है एव अब यूपीडा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय यात्रा भत्ता नियमावली–वित्त(सामान्य) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 जी0–2–175 / दस–2011–601 / 2011 दिनांक 31.03.2011 के अनुसार की जायेगी।"

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 11.12.2018 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित:–**

कार्यवाही / निर्णयः– विधि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों की अद्यतन स्थिति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, यह भी अवगत कराया गया, कि समस्त वादों का सतत् त्वरित अनुश्रवण किया जा रहा है। किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं है, से अवगत होते हुये कार्य पर सतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य हेतु 05 सहायक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा हेतु यूपीडा द्वारा संचालित पेट्रोलिंग सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया उन्हें बताया गया कि यूपीडा की 15 पेट्रोलिंग वाहन एवं टोल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 पेट्रोलिंग वाहन से (24 X 7) घण्टे निगरानी करायी जा रही है। वर्तमान में केवल 05 सुरक्षा अधिकारी एवं दो मुख्य सुरक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु तैनात है। सेवाओं को दिन रात संचालित रखने के लिये 05 अतिरिक्त सहायक सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने की आवश्यकता है, जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित सेवाओं की प्रशंसा की गई एवं 05 सहायक सुरक्षा अधिकारियों की संविदा के आधार पर तैनाती की सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रथम चरण में जनपद झांसी, जालौन एवं चित्रकूट की भूमि के साथ-साथ जनपद-अलीगढ़ की भूमि को भी सम्मिलित करने हेतु:-**

कार्यवाही / निर्णयः– मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु प्रथम चरण में जनपद झांसी, जालौन एवं चित्रकूट की भूमि के साथ–साथ जनपद–अलीगढ़ की भूमि को भी सम्मिलित करने हेतु निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगतिः–**

कार्यवाही / निर्णयः– बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थितिः–**

कार्यवाही / निर्णयः– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययकः–**

कार्यवाही / निर्णयः– वित्त नियत्रंक महोदय यूपीडा द्वारा आय व्ययक लेखा से अवगत कराया गया, उक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में आगणन के पुनरीक्षण व पुर्नः टेन्डरिंग के फलस्वरूप हुई बचत की सूचनाः–**

शासनादेश सं0 2366 / 77–3–16–502एम / 2014 दिनांक 28.12.2016 द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 22317.77 करोड़ थी।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कार्य की निविदा आमंत्रण के समय 35 प्रतिशत भूमि ही क्रय की गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में "समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" के सिविल कार्यों की अनुमानित आगणित लागत रू0 14162.16 करोड़ के सापेक्ष रू0 15157.99 करोड़ की बिड प्राप्त हुई थी, जो आगणित लागत से रू0 995.83 करोड़ अर्थात 7.03 प्रतिशत अधिक थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत रू0 23,349.37 करोड़ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वर्ष 2016 में गठित आगणन में, सिविल कार्यों के प्राविधानों में से मुख्यतः मीडियन की चौडाई 22.5 मीटर से कम करके 5.5 मीटर करने से मिट्टी की मात्रा में बचत के कारण, मिट्टी पर रॉयल्टी फीस समाप्त हो जाने, वाराणसी लिंक की आवश्यकता न होने के कारण इसका प्राविधान समाप्त करने, वे–साइड एमेनिटीज, टॉयलेट ब्लाक, ओ.एफ.सी. केबिल व सोलर प्लान्ट का कार्य अन्य माध्यमों से कराये जाने का निर्णय लिये जाने तथा ए0टी0एम0एस0 के 50 प्रतिशत कार्य कम करने के कारण लगभग रू0 1763.15 करोड़ की बचत परिलक्षित हो रही है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आठों पैकजों के सिविल कार्यों की निविदा रू0 11216 करोड़ की प्राप्त हुई है जो परियोजना के सिविल कार्यों की आगणित लागत रू0 11836.02 करोड़ से 5.24 प्रतिशत कम है व इससे शासन को रू0 619.92 करोड़ की बचत हुई है।

कार्यवाही/निर्णयः– उक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा बचत का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन स्थितिः–**

कार्यवाही/निर्णयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परियोजना की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं सम्बन्धित मदों में Extension of Time पर विचार/अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णयः– अथॉरिटी इंजीनियर के पत्रांक AYESA-AARVEE-JV/A-L/2018-19/5278 दिनांक 13.11.2018 द्वारा टीएमएस/एटीएमएस सब–प्रोफेशनल के पद पर श्री मोहम्मद ऊमेर खान के स्थान पर श्री बृजेश गिरी को योजित किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। अथॉरिटी के पत्रांक 4433/यूपीडा/233-IX/तकनीकी दिनांक 29.11.2018 द्वारा बृजेश गिरी को टीएमएस/एटीएमएस सब–प्रोफेशनल के रूप में योजित किय जाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त पर अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों द्वारा Change of Scope के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन करते हुए बिन्दु सं0 8 पर पैकेज–5 के अन्तर्गत 69 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को De-scope करने के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि उक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को De-scope करने से स्थल के ड्रेनेज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा, इसका परीक्षण तकनीकी प्रभाग से करा लिया जाये।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए मुख्य सड़क के दोनों ओर Safety Net लगाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णयः– मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा मार्गो पर ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु निर्देशों के क्रम में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जानवरों के प्रवेश को

रोकने के लिए मुख्य कैरिजवे के दोनों ओर प्रस्तावित निम्नांकित तीनों विकल्पों पर सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया :–

1. मेटल बीम कैश बैरियर के वर्टिकल पोस्ट में वेल्डिंग के माध्यम से एक अतिरिक्त चैनल जोड़कर 01 अतिरिक्त मेटर बीम लगायी जा सकती है।
2. मेटल बीम कैश बैरियर वर्टिकल पोस्ट की ऊचाई बढ़ाकर, बढ़ाई गई ऊचाई में पाईप लगाये जा सकते है।
3. मेटल बीम कैश बैरियर वर्टिकल पोस्ट में एंगल आइरन वेल्ड कर वायर मैश लगाई जा सकती है।

निदेशक मण्डल द्वारा विकल्प सं0–1 पर प्रस्तावित मेटल बीमा कैश बैरियर के वर्टिकल पोस्ट में वेल्डिंग के माध्यम से एक अतिरिक्त चैनल जोड़कर 01 अतिरिक्त मेटर बीम लगाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात्रि में दुर्घटनाओं को कम करने हेतु Fluorescent Strip लगाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णयः– मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि रात्रि में ट्रैफिक की सुरक्षा के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य कैरिजवे पर रात में चमकने वाले Reflective tape/strip इत्यादि लगाने का सुझाव दिया गया है। इसी कम में मार्ग पर दुर्घटना रोकने के उद्देश्य से मीडियन / मीडियन ड्रेन कैश बैरियर व पैरामेट वाल पर 03 इचं चौडी Reflective tape/strip लगाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु अन्य प्रयोजन यथा कैट्स आई / रोड स्टड्स लगाने पर भी विचार कर लिया जाये इस प्रयोजन के लिये लागत को रू0 10 करोड़ के अन्तर्गत सीमित रखा जाये।

एजेण्डा बिन्दु–19:– **यूपीडा में चल रही विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में तकनीकी स्टाफ की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ के नियोजन हेतु अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुयें अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग से अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने हेतु शासन को पत्र लिखा गया है, परन्तु स्टाफ की कमी के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा अभियन्ताओं की तैनाती न किये जाने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग / एन0एच0ए0आई0 के अवकाश प्राप्त अभियन्ताओं की संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाए एवं लोक निर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त अभियन्ताओं को संविदा नियुक्ति मे प्राथमिकता दी जाये, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथमता 05 अधिशासी अभियन्ता, 10 सहायक अभियन्ता एवं 10 अवर अभियन्ताओं की संविदा पर तैनाती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि उप सचिव, ने अवगत कराया है, कि विभाग में सेवानिवृत्त अभियन्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुनः नियोजन हेतु अपने प्रार्थना पत्र दिये है, जो उनके वार्षिक कार्य रिपोर्ट के साथ उपलब्ध है, एवं यूपीडा को संविदा नियोजन हेतु उपलब्ध करा दिये जायेंगे, साथ ही प्रतिनियुक्ति पर अभियन्ताओं की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र ही यूपीडा में तैनाती कर दी जायेगी। उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 अगस्त, 2018 के वृक्षारोपण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा की जागरूकता विकसित करने एवं प्रोत्साहन हेतु बच्चों को खेल सामग्री का वितरणः–**

कार्यवाही / निर्णयः– मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में जन सहभागिता बढ़ाने

एवं समाजिक जिम्मेदारी (Social Responsibility) के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा जन–कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित स्कूलों के विद्यार्थियों को खेल सामग्री वितरित की गई है। उन पर आने वाले व्यय रू0 19,82,225 के व्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–21:– **पर्यटन भवन में स्थित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा प्रयोग किये जा रहे कार्यालय को रिक्त होने पर यूपीडा के प्रयोगार्थ किराये पर साज–सज्जा सहित लिये जाने पर आने वाले वित्तीय व्यय का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णयः– वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा में कई परियोजनायें प्रारम्भ होने के कारण कार्यालय में स्टॉफ की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। अतः भू–तल पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा रिक्त किये जा रहे कक्षों को यूपीडा के प्रयोगार्थ पर्यटन विभाग से आवंटित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड एवं यूपीडा के अधिकारियों की एक समिति गठित कर उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड के सामग्रियों के ह्रासित मूल्य निकाला गया है, जिसका विवरण निम्नवत् रू0 18,79,314 एवं रू0 8,26,325 कुल रू0 27,05,639 (सत्ताईस लाख पाच हजार छः सौ उन्तालिस मात्र) कर सहित नियमानुसार रू0 18,79,314 को इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2018–19 तथा रू0 8,26,325 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम तिमाही में किये जाने का समिति ने संस्तुति की है। उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे की भूमि क्रय हेतु जनपदों से प्राप्त दरों के अनुमोदन हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में :–**

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में जनपद स्तर पर गठित मूल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित भूमि की दर एवं मूल्य के प्रस्ताव आयुक्त से अनुमोदन उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाते है, जिन्हें निदेशक मण्डल से समय–समय पर अवलोकित एव अनुमोदित कराया जायेगा। उपरोक्त हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन हेतु अधिकार प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु कय/अर्जित भूमि की जनपद स्तरीय समिति से प्राप्त दरों को अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि की मांग के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक "2852–उद्योग–80–समायन्य–800–अन्य–15–यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत प्रावधानित अवशेष धनराशि रू0 348,46,36,507.00 में से वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के धनराशि की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये धनराशि रू0 27,96,46,419/– उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा।

इस हेतु शासन को पत्रांक 4617/यूपीडा/14/लेखा/वित्त/नि0 दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने हेतु प्रेषित किया जा चुका है। जिसका अनुमोदन प्रस्तावित किया गया है, उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू (19.01.2018 की रात्रि 12 बजे) के पश्चात् आय–व्यय की स्थिति:–**

कार्यवाही/निर्णय:– वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा इलाहाबाद बैंक से अब तक धनराशि रू0 1206.81 करोड़ का ऋण लिया जा चुका है, दिनांक 14.11.2018 तक वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित देयताओं के भुगतान के पश्चात टोल चार्ज से एकत्रित अवशेष धनराशि रू0 30 करोड़ इलाहाबाद बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित देयताओं के भुगतान के पश्चात टोल चार्ज से एकत्रित अवशेष धनराशि रू0 17,50,24,761.00 हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि रू0 113.63 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यदि शासन से ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में प्राविधानित धनराशि प्राप्त कर ब्याज का समस्त भुगतान उक्त धनराशि से कर दिया जाये एवं टोल से प्राप्त पूर्ण राशि ''प्रशासनिक व्यय छोडकर'' मूल में जमा कर दिया जाये, तो लिये गये ऋण पर ब्याज की देयता कम होगा, जिससे वित्तीय भार में कमी होगी, उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को अनुमोदित किये गये है।

(रवीन्द्र गोडबोले)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी